# सीएजी की निरीक्षण भूमिका

# 2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। सीएजी के पास एक अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है तथा उस पर टिप्पणी जारी करता है या सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तृत किया जाए।

# 2.2. सीएजी द्वारा सार्वजिनक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 तथा 145 के साथ पठित धारा 129 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रत्येक वर्ष आयोजित इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तृत करने होते है।

वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जून/जुलाई 2014 के दौरान की गई थी।

सिक्युरिटिज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान किया जाता है कि स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) को प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है तािक परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवाकर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सिहत सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जून/जुलाई 2014 के दौरान वर्ष 2014-15 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

# 2.3 सीपीएसईज द्वारा लेखाओं का प्रस्त्तीकरण

# 2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्त विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के साथ अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सिहत पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के लगाने का भी प्रावधान है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सिहत चूककर्ता व्यक्तियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबिक विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लिम्बत थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

# 2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2015 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 390 सरकारी कम्पनियां तथा 174 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। जिनके वर्ष 2014-2015 के लेखे बकाया थे।

564 कम्पनियों में से 77 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

30 सितम्बर 2015 को या इससे पहले कुल 333 सरकारी कम्पनियों तथा 150 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 55 सरकारी कम्पनियों तथा 22 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं में ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 2.1 में दिया गया हैं:

तालिका 2.1: सीपीएसईज के लेखाओं में बकाया का ब्यौरा

विवरण		सर	कारी कम्प	नी	सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियां		कुल			
			असूची-	कुल	सूची-	असूची-	कुल	सूची-	असूची-	कुल
		बद्ध	बद्ध		बद्ध	बद्ध		बद्ध	बद्ध	
कम्पनियां जिनके	5 2014-15 के लेखे देय	51	339	390	8	166	174	59	505	564
थे										
कम्पनियां जिन्हों	iने 30 सितम्बर 2015	50	283	333	8	142	150	58	425	483
तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे										
प्रस्तृत किए										
लेखे प्रस्तुत नहीं किए <sup>14</sup>		-	2	2	-	2	2	-	4	4
बकाया में लेखे		1	54	55	-	22	22	1	76	77
बकाया का	(i)परिसमापनाधीन	-	22	22	-	8	8	-	30	30
ब्रेक-अप	(ii) समाप्त	-	3	3	-	6	6	-	9	9
	(iii) अन्य	1	29	30	-	8	8	1	37	38
' अन्य ' वर्ग के	एक वर्ष (2014-15)	1	22	23	-	4	4	1	26	27
प्रति बकाया का	दो वर्ष (2013-14 तथा	-	3	3	-	2	2	-	5	5
समय वार	2014-15)									
विश्लेषण	तीन वर्ष तथा अधिक	-	4	4	-	2	2	-	6	6

इन कम्पनियों के नाम परिशिष्ट-॥ में दर्शाए गए हैं।

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> उन कम्पनियों की संख्या जिन्होंने लेखे प्रस्तुत नहीं किए है वह हैं जिनके वर्ष 2014-15 के लिए पहले लेखे अभी प्राप्त किए जाने हैं, अतः उन्हें बकाया लेखों से अलग रखा गया है।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण की कमी और सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

# 2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, चार के मामले में यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2014-15 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2015 तक प्रतीक्षित थे तथा सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, लेखें समय पर प्राप्त हुए थे।

## 2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

### 2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ॥। में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

#### 2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्नलिखित शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है।

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना, और
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

### 2.4.3 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक

लेखापरीक्षक आईसीएआई के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, की सूचना वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत दी जाती है।

#### तीन चरणीय लेखापरीक्षा

सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

#### तीन चरणीय लेखापरीक्षा

#### वरण-।

लेखाकरण नीति की समीक्षा और पूर्व लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई

#### चरण-।।

वित्तीय विवरणों की जांच, प्रन्धन को एक अवसर देना और समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।

#### चरण-।।।

प्रबन्धन द्वारा लेखों के अनुमोदन के बाद लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण की अन्तिम जांच। चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली' द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए "सूचीबद्ध", नवरत्न, "मिनीरत्न" और सांवधिक निगमों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चयनित सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लागू किया गया था:

- सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित पहंच स्थापित करना।
- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक,
   अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों के मद्देनजर लेखाओं में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।


चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के विस्तारित प्रावधान हैं। तीन चरणीय लेखापरीक्षा के प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आपित्तयां प्रारंभिक आपित्तयों के रूप में मानी जाती हैं और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेषित की जाती है। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण-III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

# 2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

#### 2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

57 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2014-15 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन चार्ट VIII में दर्शाया गया है:



चार्ट VIII: 2014-15 के दौरान तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया उनको तालिका 2.2 में दर्शाया गया है: तालिका 2.2: सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2.	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
4.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
5.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
6.	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड
7.	एनएचपीसी लिमिटेड
8.	नोर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	एनटीपीसी लिमिटेड

10.	आयल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
11.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	साऊथ ईस्टर्न कोलिफल्ड्स लिमिटेड
15.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

# 2.5.2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरण 333 सरकारी कम्पनियों (50 सूचीबद्ध कंपनियों सिहत), 150 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (आठ सूचीबद्ध कंपनियों सिहत) तथा पाँच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर

सीएजी ने वर्ष 2014-15 के लिए 277 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

2015 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 217 सरकारी कम्पनियों और 60 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2015 तक प्राप्त लेखाओं में से 65 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 40 प्रतिशत सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

# 2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2014-15 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

# स्चीबद्ध कंपनियाँ

#### लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कंपनी का नाम		टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	•	अशोध्य और संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए अनुमति को ₹ 309.66
		करोड़ तक कम बताया गया था।
	•	मानक और संवीक्षात्मक परिसम्पत्तियों को ₹ 17.55 करोड़ तक
		अधिक बताया गया था।

	• प्रचालनों से राजस्व को ₹ 5.54 करोड़ तक अधिक बताया गया
	था।
महानगर टेलीफोन	दूर संचार विभाग द्वारा उठाये गये देयों के अनन्तिम निर्धारण के
निगम लिमिटेड	प्रति ₹ 590.59 करोड़ तक लाइसेंस फीस कम बताई गई थी।
स्टील अथारिटी ऑफ	निगमित सामाजिक उत्तर दायित्व गतिविधियों पर किये गये व्यय
इंडिया लिमिटेड	को शामिल न करने के कारण ₹ 35.04 करोड़ तक 'अन्य व्यय' को
	कम बताया गया था।
दि स्टेट ट्रेडिंग	एएस-9 के प्रावधानों के उल्लंघन में ग्लोबल स्टील फीलीपाईंस
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	इंक/ग्लोबल स्टील होल्डिंग्स लिमिटेड से वसूलीयोग्य बकाया प्राप्यों
लिमिटेड	पर ब्याज के प्रति ₹ 203.61 करोड़ 'अन्य आय' में शामिल थे।

# वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईटीआई लिमिटेड	कम्पनी तथा एचसीएल के बीच अनुबंध के अनुसार 'सशर्त प्रतिपूर्ति' के
	रूप में मै. एचसीएल इन्फोसिस्टमस लिमिटेड (एचसीएल) से वसूली
	योग्य राशि को शामिल करने के कारण लघु अवधि ऋण तथा अग्रिम
	₹ 16.90 करोड़ तक अधिक बताए गए थे।
महानगर टेलीफोन	लंबित भुगतान पर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किये गये
निगम लिमिटेड	बिलों पर सेनवेट से संबंधित ₹ 104.62 करोड़ तक उत्पाद शुल्क और
	बिक्री कर-सेनवेट क्रेडिट जमा अधिक बताया गया था।
स्टील अथारिटी ऑफ	नंदिनी एयर-स्ट्रिप की स्थिति को सुधारने के लिए की गई रि-कॉर्पीटिंग
इंडिया लिमिटेड	और मरम्मत के प्रति ₹ 7.79 करोड़ का किया गया व्यय मूर्त
	परिसम्पत्तियों में शामिल था।
दि स्टेट ट्रेडिंग	• कारोबार प्राप्तियोग्य में निर्यात किये गए इस्पात स्लैब के कारण
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	ग्लोबल स्टील फिलीपींस इंक/ग्लोबल स्टील होल्डिंगस लिमिटेड से
लिमिटेड	वसूली योग्य ₹ 1640.53 करोड़ शामिल थे।
	• पुन: मूल्यांकन आरक्षित निधि में जवाहर व्यापार भवन और एसटीसी
	हाऊसिंग कॉलोनी में पट्टे वाली भूमि के संबंध में सृजित आरक्षित
	निधि के प्रति मूल्यांकन में ₹ 547.29 करोड़ शामिल थे। पट्टेवाली
	भूमि के स्पष्ट शीर्षक और पट्टादाता की लिखित सहमति के अभाव
	में किया गया पुन: मूल्यांकन ठीक नहीं था।

# प्रकटन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के पैरा 1 (i) में यथा
	अपेक्षित ₹ 37.35 करोड़ के अल्प ब्याज राशि को आरोप्य लाभ का
	भाग दिखाने में विफल रही।
पावर ग्रिड कार्पीरेशन	अपने संयुक्त उद्यम (जेवी) अर्थात् नेशनल हाईपावर टैस्ट लेबोरेटरी
ऑफ इंडिया लिमिटेड	प्राईवेट लिमिटेड (एनएचपीटीपीएल) का एक भाग जेवी अनुबंध के
	अनुसार 20 प्रतिशत शेयर धारिता के आधार पर समेकित किया गया
	था। तथापि, एनएचपीटीपीएल में कंपनी का शेयर धारिता भाग जेवी
	भागीदारों में से एक के द्वारा अपेक्षित शेयर पूंजी के अंशदान न करने
	के कारण 21.64 <i>प्रतिशत</i> रहा। यह लेखा टिप्पणियों में प्रकट नहीं
	किया गया था।

# अस्चीबद्ध कंपनियां

### लाभप्रदता पर टिप्पणी

लामप्रदता पर १८०५णा	
कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आर्टिफिशल लिंबस मैन्यु	कर्मचारियों को देय उपदान और अवकाश नकदीकरण के कारण 31
फैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ	मार्च 2015 तक देयता में कमी को कंपनी द्वारा
इंडिया लिमिटेड	समायोजित/लेखांकित नहीं किया गया था।
बंगाल केमिकल्स एंड	• कर के बाद हानि को अर्जित ब्याज और स्रोत पर कर कटौती की
फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	गई राशि सहित बेहिसाब सावधि जमा की पहचान के कारण
	₹11.81 करोड़ तक कम बताया गया था।
	• ₹ 1.05 करोड़ तक की पुष्टि की गई देयता को आकस्मिक देयता
	के रूप में लेखा में लिया गया था।
हिंदूस्तान साल्ट्स	सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड से दाण्डिक प्राप्य ब्याज को
लिमिटेड	ध्यान में न रखने के कारण अल्प कालिक ऋणों और अग्रिमों को
	₹ 1.43 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
आईएफसीआई वेंचर	• मै. मार्ग लिमिटेड और मै. नकोडा लिमिटेड के उपमानक अल्प
केपीटल फंड लिमिटेड	कालिक ऋण पर अर्जित ब्याज के प्रति प्रचालनों से राजस्व में
	₹ 2.17 करोड़ शामिल थे, जो आरबीआई प्रतिमानों के अनुसार नहीं
	थे।
	• पुन: मानक ऋण तैयार किये जाने के रूप में गलत तरह से
	वर्गीकृत मै. मार्ग लिमिटेड के अल्प कालिक ऋण के संबंध में कम
	प्रावधान होने की वजह से अन्य व्यय में ₹ 0.87 करोड़ शामिल
	नहीं किया गया।

	<ul> <li>मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत मै. नाकोड़ लिमिटेड के लिए बकाया ऋण (₹ 6.21 करोड़) के प्रति आरबीआई प्रतिमानों के</li> </ul>
	अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
आईएफआईएन	जायलॉग ग्रुप के अग्रिम के प्रति किये गये कम प्रावधान के कारण
सिक्योरिटिज़ फाइनेंस	अल्पकालिक प्रावधानों को ₹ 6.73 करोड़ तक कम बताया गया था क्योंकि
लिमिटेड	सुरक्षित ऋण के लिए उपहार विलेख रेहनदारी नकली पाई गई थी।
इंडिया इंफ्रास्टैक्चर	इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड से संबंधित ऋण परिसम्पत्ति
फाईनेंस कंपनी लिमिटेड	को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के स्थान पर मानक परिसंपत्ति के रूप
	में सही रूप से नहीं आंका गया था।
इंडियन ड्रग्स एंड	•उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलान के अनुसार देय
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	विद्युत प्रभारों के प्रति अन्य दीर्घाविध देयताओं में ₹ 117.18 करोड़
(2012-13)	शामिल नहीं थे।
	•सीआईएसएफ को देय ब्याज के प्रति ₹ 16.25 करोड़ हेतु कोई
	प्रावधान नहीं किया गया था।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी	इरेडा के आदेश की सहमति से इंडियन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल
लिमिटेड	के विखण्डित होने के कारण उपलब्ध कराये गये विगत आईबीएनआर
	दावों के प्रतिलेखन के कारण कर के बाद लाभ ₹ 455.35 करोड़ तक
	अधिक बताया गया था।
नेशनल प्रोजैक्ट्स	सेवाकर भुगतान के विलंबित भुगतान पर ब्याज से संबंधित 'अधियोग
कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन	व्यय' में ₹ 7.23 करोड़ शामिल थे।
लिमिटेड	
नेशनल वक्फ डेवलेपमेंट	प्रशासनिक व्यय के प्रति स्टेट वकफ बार्ड को हस्तांतरित कुल निधियों
कार्पोरेशन लिमिटेड	के पांच प्रतिशत के प्रति 10 प्रतिशत की दर पर आय स्वीकार करने
	के कारण प्रचालनों से राजस्व अधिक बताया गया था।
नेपा लिमिटेड	गलत मूल्यांकन के कारण, तैयार माल की माल सूची को अधिक
	बताया गया था।
न्यूक्लियर पावर	3 ,
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	निवेश के मूल्य में 100 प्रतिशत कमी का प्रावधान 'असाधारण मद'
लिमिटेड	के बजाय 'प्रशासनिक एवं अन्य व्यय' में शामिल था।
पीएफसी कन्सिल्टंग	
लिमिटेड	मानक बोली दस्तावेजों के उल्लंघन में था जैसे संबंधित बोली
	प्रसंस्करण समन्वयक की क्षमता में कम्पनी द्वारा प्राप्त 'प्रस्ताव के

	लिए अनुरोध' दस्तावेजों की बिक्री प्राप्तियों के कारण ₹ 0.30 करोड़		
	अन्य परिचालन आय में शामिल था।		
सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड	मूल कम्पनी हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड को देय दाण्डिक ब्याज को		
	ध्यान में न रखने के कारण दीर्घावधि उधार राशि ₹ 1.43 करोड़ तक		
	कम बताई गई थी।		
सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड	• सितम्बर 2013 में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद गवर्नर		
मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ	के हस्ताक्षर वाले 2014 में मुद्रित 226.48 मिलियन बैंक नोटों		
इंडिया लिमिटेड	के टुकड़ों और जिन्हें आरबीआई द्वारा नहीं लिया गया था के		
	प्रति ₹ 36.69 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया		
	था।		
	• 2014-15 के समझौता ज्ञापन में अपनाई गई बिक्री दरों के बजाय		
	2012-13 वर्ष के लिए लागत लेखांकन शाखा द्वारा अन्तिम रूप		
	दी गई दरों के आधार पर सिक्कों की बिक्री से राजस्व की स्वीकृति		
	के कारण वर्ष के लिए हानि को ₹ 199.65 करोड़ तक कम बताया		
	गया था।		

# वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आर्टिफिशियल लिंब्स	भारत सरकार द्वारा इक्विटी में रूपांतरण के लिए अनुमोदित ऋणों पर
मैन्यूफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन	बकाया और दाण्डिक ब्याज के प्रति दीर्घकालिक उधार में ₹ 52.13
ऑफ इंडिया लिमिटेड	करोड़ शामिल था।
भारत बॉडबैंड नेटवर्क	'अन्य के अग्रिम' को वर्ष 2014-15 के लिए श्रम शक्ति को भाड़े पर
लिमिटेड	लेने के लिए एनआईसीएसआई को प्रदत्त राशि का प्रावधान न करने
	के कारण अधिक बताया गया था।
हरिदासपुर पारादीप रेलवे	ब्याज प्रभारों के प्रति रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा उदभूत
कम्पनी लिमिटेड	₹ 3.38 करोड़ के दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
हिंदुस्तान प्रिफैब	● ₹ 10.64 करोड़ के विविध लेनदारों के डेबिट शेष को घटाने के बाद
लिमिटेड	व्यापार देय निकाले गए थे।
	• प्रतिभूति जमा की गैर-चालू देयताओं और बयाना राशि के समावेशन
	के कारण अन्य चालू देयताओं को ₹ 13.77 करोड़ तक अधिक
	बताया गया था।
हिंद्स्तान शिपयार्ड	कम्पनी ने भारत सरकार से मशीनरी के पुन:नवीकरण और प्रतिस्थापन
. 3	

	निधियों पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को क्रेडिट किया जाना था।
	कम्पनी ने सावधि जमा में अनप्रयुक्त राशि का निवेश किया और
	विभिन्न कार्यचालन पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए ₹ 361.79 करोड़ का
	विपथन किया जिसकी ₹ 175.86 करोड़ की पुन: पूर्ति की गई थी।
	₹ 9.27 करोड़ के काल्पनिक ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया
	था जिसे कम्पनी द्वारा विपथित निधियों पर अर्जित किया जाएगा।
कान्ति बिजली उत्पादन	वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम कर के विलम्बित भुगतान पर देय
निगम लिमिटेड	₹ 0.74 करोड़ का ब्याज 'वित्त लागत' के बजाए 'चालू कर' में शामिल
	किया गया था।
नबीनगर पावर जेनेरटिंग	• ₹ 0.84 करोड़ के रूप में प्रमाणित देय पूँजीगत देयता को त्रुटिवश
कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	₹8.40 करोड़ के रूप में लेखांकित किया गया था।
	• मै. गेनन डंकरेली एंड कम्पनी लिमिटेड को ठेके के संबंध में देय
	पूँजीगत व्यय ₹4.35 करोड़ तक अधिक बुक कर दिया गया था।
	• मै. एब्सयूट प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड को दिए गए ठेके के संबंध में
	'अन्य चालू देयताओं' को ₹0.28 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
नेशनल प्रोजेक्ट्स	• 'सुरक्षा जमा' को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम' के स्थान पर 'अन्य
कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन	गैर-चालू परिसंपत्तियों' के अन्तर्गत दर्शाया गया था।
लिमिटेड	• अन्य पक्ष को गिरवी सावधि जमा प्राप्तियों के संबंध में नकद एवं
	नकद के समकक्ष को ₹34.68 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
	• माननीय जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश, लुंगी के दिनांक 16
	फरवरी 2015 के निर्णय के अनुपालन में जमीन मालिकों को बढ़ी
	हुई क्षतिपूर्ति के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
एनआईसीएस आईएनसी.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त सहायता
	अनुदान पर प्रतिधारित अर्जित ब्याज आय के प्रति 'अन्य आय (ब्याज
	आय)' को ₹ 13.87 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
पीईसी लिमिटेड	ऋण एवं अग्रिम में मै. व्हाइटफील्ड को चावल के भण्डारण के लिए
	कारोबारी वित्तपोषण के प्रति प्रदान किए गए अग्रिम के प्रति ₹ 7.58
	करोड़ शामिल था, जिसकी मौजूदगी को सिद्ध नहीं किया जा सका।

# प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
क्रास बार्डर पावर	पूँजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने वाले शेष ठेके की प्राकलित और
ट्रांसिमशन कम्पनी	प्रदान न की गई राशि को मै. केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा
लिमिटेड	निष्पादित किए जाने वाले शेष आपूर्ति एवं सेवा ठेकाओं के प्रति मूल्य
	अंतर के कारण ₹ 11.08 करोड़ शामिल नहीं की गई।
हिन्दुस्तान साल्ट्स	तथ्य यह है कि (i) खारघोड़ा में 23569 एकड़ भूमि पर गुजरात सरकार
लिमिटेड	के साथ विवाद चल रहा था और (ii) गूमा में 74.086 एकड़ भूमि को
	मंडी, हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के अभिलेखों में कम्पनी के
	नाम में अभी भी बदला जाना था, का भी समुचित रूप से प्रकटन नहीं
	किया गया था।
नेशनल प्रोजेक्ट्स	दिनांक 23 मार्च 2015 की ₹ 64.44 करोड़ की आयकर मांग को
कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन	आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था।
लिमिटेड	
राजस्थान ड्रग्स एण्ड	कम्पनी के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में पंजीकरण हेतु वित्तीय
फार्मास्यूटिकल्स	पुनर्गठन और औद्योगिक बोर्ड को संदर्भ किया गया था क्योंकि संचित
लिमिटेड	हानि इसकी निवल सम्पत्ति से अधिक हो गई थी और इसके
	पुनरूत्थान के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता थी।
	इसका प्रकटन नहीं किया गया था।
सांभर साल्ट्स लिमिटेड	तथ्य/सूचना कि (i) 2648 एकड़ भूमि अधिग्रहीत/विवाद के अन्तर्गत थी
	(ii) 58.24 एकड़ विवादित भूमि जो अन्य के नाम थी, कम्पनी के
	अधिकार के अन्तर्गत थी (iii) कम्पनी द्वारा राजस्थान सरकार के साथ
	57600 एकड़ भूमि के संबंध में किसी पट्टानामा पर हस्ताक्षर नहीं किए
	गए थे (iv) अतिक्रमित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य तुलन-पत्र तिथि
	को उपयुक्त रूप से प्रकटित नहीं किया गया था।

# लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
डीजीईएन ट्रांसमिशन	अवलोकन किया गया कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा आबंटित
कम्पनी लिमिटेड	एवं ट्यय किए गए के रूप में श्रमबल एवं अन्य प्रशासनिक उपरिट्यय से
	संबंधित व्यय न तो सीधे सामान्य रूप से स्थायी परिसम्पत्तियों के
	अधिग्रहण/निर्माण के लिए आरोप्य थे और न ही सामान्यत: विनिर्माण
	गतिविधि के लिए आरोप्य बताए जा सके; क्योंकि निर्माण अभी शुरू

	होना था, सही नहीं था क्योंकि व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा
	विशेष उद्देश्य इकाई के रूप में बनाई गई कम्पनी द्वारा निष्पादित की
	जाने वाली ट्रांसिमशन परियोजना के लिए विशेष रूप से आरोप्य था। ये
	व्यय संबंधित बोलीदाता से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड. द्वारा वसूली
	योग्य थे जिसे कम्पनी बोलीदाता के चयन पर स्थानांतरित कर देगी।
हाउसिंग एंड अर्बन	अवलोकन किया गया कि कम्पनी ने एनएचबी प्रतिमानों से परे गैर-
डेवलपमेंट कॉर्पीरेशन	निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए ₹ 170 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
लिमिटेड	सृजित किया था, वह त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह लेखापरीक्षा 705 पर
	मानक की आवश्यकता के विपरीत इस अर्हता के पर्याप्त कारणों के
	अभिलेखित किए बिना वित्तीय विवरणों में दिए गए व्याख्यात्मक
	टिप्पणियों (टिप्पणी 26) के बिन्दु 25 की मात्र पुनरावृत्ति थी। इसके
	अलावा, 2014-15 में अपनाई गई इसकी लेखांकन नीति के अनुसार
	कम्पनी द्वारा अतिरिक्त प्रावधान किया गया था जिस पर सांविधिक
	लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत सहमति दी गई थी।

# अस्चीबद्ध सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ

# लाभकारिता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
नेशनल हार्ड पावर टेस्ट	कम्पनी ने लाभ एवं हानि विवरण के लिए कम्पनी द्वारा गैर
लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	धारित परिसंपत्तियों पर ₹ 2.28 करोड़ का कुल व्यय प्रभारित
	किया था जिसे आगे 'निर्माण के दौरान व्यय' के रूप में
	प्रगतिशील कार्य पूँजी में अन्तरित कर दिया गया था।

# वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम		टिप्पणी									
नेशनल	हार्ड	पावर	टेस्ट	पावर	ग्रिड	कॉर्पोरेशन	ऑफ	इंडिया	लिमिटेड	को	देय
लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड		₹ 2.6	7 करोड़	इ की पराम	र्श फीस	को अन	ऱ्य चालू दे	यताअं	ों के		
				बजाए	व्यापार	देय के रूप	में दर्शा	या गया	था।		

# प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम			टिप्पणी
एनर्जी	एफिसिएंशी	सर्विसेज	2015-16 में दिए गए ठेके के संबंध में ₹4.66 करोड़ के शामिल
लिमिटेड	5		करने के कारण पूँजीगत प्रतिबद्धता अधिक बतायी गई थी।

# नेशनल हार्ड पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड

- पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई
  परियोजना निष्पादन के प्रति पूँजीगत प्रतिबद्धता के गलत
  शामिल करने के कारण पूँजीगत प्रतिबद्धता ₹ 8.51 करोड़ तक
  कम बताई गई थी।
- आयकर विभाग द्वारा उदभूत की गई ₹ 0.49 करोड़ की मांग
   को आकस्मिक देयताओं में शामिल नहीं किया गया।

### सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

## (1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- (i) उचित बहियों और प्राधिकरण द्वारा अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित गंभीर रिजर्वेशन के कारण, लेखापरीक्षा यह मत बनाने में असमर्थ था कि क्या एनएचएआई के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष राय दृष्टिकोण देते है; जैसािक नीचे दर्शाया गया है:
  - क. ₹ 140797.31 करोड़ की प्रगतिशील पूँजी (सीडब्ल्यूआईपी) में एनएचएआई द्वारा चल रही राजमार्ग परियोजनाओं के साथ-साथ समाप्त हुई परियोजनाओं पर किए गए व्यय को शामिल किया गया था। एक ओर एनएचएआई ने तर्क दिया कि भारत सरकार जहां इन सड़कों की मालिक थी, वहाँ दूसरी और तुलन-पत्र में इनकों एनएचआईए की स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया जा रहा था।
  - ख. उपरोक्त धनराशि का चालू एवं समाप्त परियोजनाओं पर व्यय के परियोजनावार ब्यौरे के अभाव में सत्यापन नहीं किया जा सका।
  - ग. सीडब्ल्यूआईपी के तहत बुक किए गए वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 1780.87 करोड़ की उधारी लागत की पूरी राशि को सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और एनएचएआई की लेखांकन नीति सं. 6.2 के विपरीत भी पूरी की गई परियोजनाओं से संबंधित उधारी लागत में शामिल कर लिया गया था।

- घ. सीडब्लयूआईपी को ₹ 206.43 करोड़ राशि की 'वर्ष हेतु निवल स्थापित व्यय' का आवंटन भी सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के विपरीत था क्योंकि यह राजस्व व्यय था और पूरी राशि सीडब्ल्यूआईपी को आवंटित नहीं की जानी चाहिए थी। पूरी की गई परियोजनाओं से संबंधित आनुपातिक राशि सीडब्ल्यूआईपी का भाग नहीं थी और इसे पूँजीकृत नहीं होना चाहिए था। व्यय के परियोजनावार ब्यौरे के अभाव में लेखापरीक्षा ऐसी गलत बुकिंग के प्रभाव को निर्धारित करने में असमर्थ रहा।
- ङ. प्रगतिशील पूँजी में प्राधिकरण द्वारा 16 सड़क परियोजनाओं द्वारा किया गया ₹ 10941.71 करोड़ शामिल था। जिसे बीओटी आधार पर 6-लेन सड़क के उन्ययन हेतु रियायतग्राहियों को टोलिंग अधिकारों सहित सौंप दिया गया था। इसी प्रकार, पांच अन्य सड़क परियोजनाओं को राज्य सरकारों को हस्तातंरित कर दिया गया था। यद्यपि ये परियोजनायें एनएचएआई के साथ विदयमान नहीं थी, फिर भी लेखाओं में कोई समायोजन नहीं किया गया था।
- (ii) सीडब्ल्यूआईपी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सलाह पर एनएचडीपी चरण-IV परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को एनएचएआई द्वारा निर्मुक्त किया गया ₹ 1155.98 करोड़ शामिल था।
- (iii) पूँजीगत लाभ करमुक्त बांड-54ईसी (₹ 9187.60 करोड़), करमुक्त विमोच्य गैर परिवर्तक बांड (₹ 15000 करोड़) और एडीबी से ऋण (₹ 705.25 करोड़) के बांड धारकों को देय के रूप में दर्शाई गई ₹ 24892.85 करोड़ की राशि के लिए एनएचएआई नियमावली 1990 के नियम 9 के अनुसार कोई आरक्षित निधि नहीं बनाई गई थी।
- (iv) ₹ 86.03 करोड़ की राशि में बैंक गारंटी की नकदी वापसी, हर्जाने, कार्यक्षेत्र एवं वार्षिकी के नकारात्मक परिवर्तन के कारण ठेकेदार/रियायतग्राहियों से एनएचएआई द्वारा संग्रहीत/प्राप्त राशि दर्शाई गई थी। इन राशियों को इसकी प्रकृति की पहचान किए बिना पूँजीगत आरक्षित निधि के रूप में ब्क किया गया था।
- (v) नौ सहायक कंपिनयों को वितिरत ऋण पर उपार्जित ब्याज के प्रित अनप्रयुक्त पूँजी पर ब्याज में ₹ 152.39 करोड़ शामिल था। इस ब्याज आय की पीएण्डएल खाते में आय के रूप में दर्शाने की बजाए सीडब्ल्यूआईपी से कटौती की गई थी।

- इसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु ₹ 152.39 करोड़ तक वर्ष के लिए आय और सीडब्ल्यूआईपी को कम बताया गया है।
- (vi) एनएचआईए ने अपनी दो सहायक कम्पनियों अर्थात, मै. मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड और मै. अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस वे कम्पनी लिमिटेड में ₹345.21 करोड़ का निवेश किया। सड़क परियोजना और टोल संग्रहण अधिकार को क्रमशः दिसम्बर 2010 और जनवरी 2013 में अद्यतन हेतु रियायतग्राहियों को सौंप दिया गया था, लेकिन निवेश के मूल्य में हास का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने छः सहायक कम्पनियों अर्थात् विशाखापट्टनम पोर्ट रोड कम्पनी लि., कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लि., पारादीप पोर्ट कं. लि., न्यू मैंग्लोर पोर्ट रोड कम्पनी लि., कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कम्पनी लि. और तूतीकोरीन पोर्ट रोड कम्पनी लि. में ₹642.39 करोड़ का निवेश किया (शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सिहत)। शेयर पूँजी में 33.92 प्रतिशत से 155.56 प्रतिशत तक संचित हानियों के कारण, इसके परिणामस्वरूप उनके निवलधन का क्षरण हुआ जिसके लिए लेखांकन मानक-13 के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- (vii) सहायक कंपनियों को ऋण में इन दो सहायक कंपनियों अर्थात् मै. मुरादाबाद टोल रोड कंपनी लिमिटेड एवं मै. अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेस वे कम्पनी लि. को दिया गया ₹71.49 करोड़ का ऋण शामिल था। चूँिक सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ टोल संग्रहण का अधिकार रियायतग्राहियों को सौंप दिए गए थे और इन दो कंपनियों तक बंद करने का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा पहले ही लिया जा चुका था, इसलिए ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
- (viii) (क) भारत सरकार को देय रियायत फीस टोल प्रेषण, हर्जाने, कार्यक्षेत्र में नकारात्मक परिवर्तन, राजमार्ग परियोजना की लंबाई में वृद्धि के कारण प्रयोक्ता फीस में वृद्धि के कारण रियायतग्राही (ख) बांडों के विमोचन हेतु प्रदान की गई सेवाओं के कारण आईडीबीआई बैंक और (ग) रोहतक, अलीगढ़, ग्वालियर, अजमेर, नरसिंहपुर और कानपुर के पीआईयूज के संबंध में वर्ष 2014-15 के लिए बांड पर वार्षिक ब्याज भुगतान से वसूलीयोग्य दावा के शामिल न करने के कारण वसूलीयोग्य दावे को ₹ 56.65 करोड़ तक कम बताया गया था।

- (ix) वर्ष 2014-15 के दौरान एनएचएआई बैंक खाते में ठेकेदार द्वारा सीधा जमा की गई निष्पादन सुरक्षा और एनएचएआई द्वारा बैंक गारंटी भुनाने के कारण बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि का लेखांकन न करने के कारण नकद एवं बैंक शेष ₹40.13 करोड़ तक कम बताया गया था।
- (x) सीएएलए मांग, देय सकारात्मक अनुदान, किया गया एवं प्रमाणित निर्माण कार्य, रक्षा प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण मांग, बीएसओक्यू में अंतर हेतु ब्याज देय बिल आदि के कारण देयता के गैर/कम प्रावधान के कारण अन्य देयताओं को ₹791.02 करोड तक कम बताया गया था।
- (xi) प्राधिकरण के नोट सं. 24 द्वारा लेखा टिप्पणियों में यह बताया गया है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस 15, 17 और 21 को छोड़कर) का सामान्यतया पालन किया जा रहा है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का भी यह मत है कि एनएचएआई को अपने वित्तीय विवरण बनाने में लेखांकन मानकों को लागू करना उपयुक्त होगा।
  - तथापि, जैसा कि पिछले पैराग्राफों में चर्चा की गई है, प्राधिकरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों एवं निर्देशों के प्रावधानों से विचलत हुआ है।
- (xii) विभिन्न विभागों/एजेंसियों को दिया गया ₹ 158.86 करोड़ राशि का जमा कार्य के लिए अग्रिम 03 से 12 वर्षों तक के बही खातों में बिना मिलान किए पड़े हैं।
- (xiii) लेखापरीक्षा आपित्तियों के आधार पर प्राधिकरण ने लेखाओं में ₹ 298 करोड़ तक की सीमा तक संशोधन किए थे, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(₹करोड़ में)

विवरण	अंतर	शीर्ष	अंतर शीर्ष		
विवरण	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
परिसंपत्तियां	146.66	5.40	-	-	
देयतायें	2.34	143.60	-	-	
लाभ एवं हानि लेखे	-	-	-	-	
कुल	149.00	149.00	-	-	

# (2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (डीआईएएल) और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (एमआईएएल) और उनके संयुक्त उद्यम के मूल अभिलेख तथा प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार (ओएमडीए) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) के तदनुरूपी शेयर तथा डीआईएएल एवं एमआईएएल के कुल राजस्व का सत्यापन करने के लिए डीआईएएल एवं एमआईएएल के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त न करने संबंधी आरक्षणों के अध्यधीन, प्राधिकरण के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे की लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा को प्रस्तृत की गई सभी सूचना, स्पष्टीकरण के आधार पर की गई थी।

- (i) आरिक्षित निधि एवं अधिशेष में 30 मार्च 2015 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी ₹ 14.10 करोड़ की राशि का अनुदान शामिल नहीं था।
- (ii) वीआईएसएफ भुगतानों, वस्लीयोग्य विवादित राशि, देय संपित्त कर, पीआरपी व्यय पर आयकर एवं आईएटीए को भुगतान के कारण देयता के कम/गैर प्रावधान के कारण चालू देयताओं को ₹ 55.74 करोड़ तक कम बताया गया था।
- (iii) चालू देयताओं में 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान एअर इंडिया द्वारा मंजूरी प्राप्यों पर देय ₹ 29.95 करोड़ की सेवाकर की न्यूनतम राशि के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था।
- (iv) तीन लाभ केंद्रों में सिविल कार्य/परिसंपत्तियों के गैर-पूँजीकरण के कारण मूर्त स्थाई परिसंपत्तियों को ₹ 9.40 करोड़ तक कम बताया गया था।
- (v) आस्थगित कर परिसंपित्तयों की गणना करते समय ₹ 618.46 करोड़ की सेवा-निवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान, जिसका अभी अनुमोदन किया जाना था, को शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसम्पित्तयों को ₹ 210.21 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
- (vi) प्राधिकरण की लेखांकन नीति के अनुसार, आयकर के लिए प्रावधान को आईटीएटी (अपील) से अंतिम आदेश प्राप्त होने पर अग्रिम कर एवं टीडीएस के प्रति समायोजित कर दिया गया था। प्राधिकरण ने संबंधित वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान के प्रति निर्धारण वर्ष 2010-11 तक अग्रिम कर एवं टीडीएस का समायोजन कर दिया था। तथापि, प्राधिकरण ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए बहियों में दर्शाए गए टीडीएस शेष का मिलान नहीं किया था।

(vii) आय में वर्ष 2014-15 के लिए डीआईएएल (₹ 1967.81 करोड़) और एमआईएएल (₹ 929.31 करोड़) से विमानपत्तन पट्टा राजस्व शामिल था। डीआईएएल एवं एमआईएएल के साथ दिल्ली और मुंबई विमानपत्तनों के प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए गए प्रचालन प्रबंधन एवं विकास करार के खण्ड 1.1 के अनुसार, जेवीसी को एएआई के साथ कर पूर्व अपने सकल राजस्व के साथ साझा (डीआईएएल - 45.99 प्रतिशत और एमआईएएल - 38.70 प्रतिशत) करना अपेक्षित था। प्राधिकरण के साथ साझा किए गए राजस्व की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए ओएमडीए के खण्ड 11.2 के अनुसार डीआईएएल/एमआईएएल एवं प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई थी जो प्राधिकरण के साथ इन जेवीसी द्वारा साझा किए जाने वाले राजस्व का सत्यापन करता है।

वर्ष 2013-14 और जून 2014 तक के लिए डीआईएएल की स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षक रिपोर्ट में परावर्तित के अनुसार, स्वतंत्र राजस्व लेखापरीक्षकों ने यह मान लिया था कि गैर-वैमानिक सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिये गठित जेवी के वित्तीय विवरणों को सत्यापित नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें वे प्रस्त्त नहीं किये गये थे। उन्होंने यह भी बताया कि न तो इन जेवी के वित्तीय विवरणों को और न ही इन जेवी के बही खातों को उन्हें उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि प्राधिकरण अपने बही खाता में इन जेवीसी से अर्जित होने वाले एयरपोर्ट पट्टा राजस्व को लेखा में लेने के लिये पूर्ण रूप से राजस्व लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (त्रैमासिक) पर निर्भर था और प्राधिकरण एयरपोर्ट पट्टा राजस्व गणना की यथाथता स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण इन जेवी और ओएमडीए के अन्सार प्राधिकरण को हस्तांतरित राजस्व के शेयर से डीआईएएल और एमआईएएल को प्राप्त राजस्व की यथार्थता सत्यापित करने के लिये लेखापरीक्षा को कोई भी मूल अभिलेख प्रस्त्त नहीं कर सका था। स्संगत अभिलेखों के अभाव के कारण बही खाते में दिखाये गये ₹ 2897.12 करोड़ के एयरपोर्ट पट्टा राजस्व की यथार्थता पर ध्यान नहीं दिया जा सका।

# (3) इनलैण्ड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ इण्डिया

प्राधिकरण के संशोधित लेखा प्रारूप के अनुसार, जिसका अनुमोदन जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने पत्र सं. जी 25020/1/2004-आईडब्ल्यूटी, दिनांक 28/02/05 द्वारा किया गया था, प्राधिकरण को अपने लेखाओं में शामिल करना था:

- फार्म सी3 में नीति विवरण कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुमोदित सभी सुसंगत लेखांकन मानकों को ध्यान में रखते हुए लेखे तैयार किए जा रहे हैं।
- सदस्य के जिम्मेदारी विवरण के बारे में लेखाओं में टिप्पणी।
   प्राधिकरण को निगम सुशासन के उपाय के रूप में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एक लेखापरीक्षा समिति भी बनाना आवश्यक था।
   प्राधिकरण प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा।
   लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर प्रबंधन ने ₹ 107.34 करोड़ तक की सीमा तक लेखाओं में सुधार किया जिसका विवरण निम्नवत है:

(₹करोड़ में)

विवरण	वृद्धि	कमी
परिसंपत्तियां	36.65	53.39
देयताएं	-	0.22
व्यय	16.80	0.06
आय	0.22	-

#### 2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम 2013 धारा की 129 (1) और धारा 133 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 का नियम निर्धारित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि *परिशिष्ट- v* में ब्यौराबद्ध 31 कम्पनियां अनिवार्य लेखाकंन मानकों से विचलित हुई।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांविधक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन	कम्पनी का नाम	विचलन
मानक		
एएस-3 नकद	अरावली पावर	यह तथ्य कि फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रिजर्व से संबंधित
प्रवाह विवरण	कम्पनी प्राईवेट	₹ 3.65 करोड़ के सावधि जमा और बैंक द्वारा जारी साख
	लिमिटेड	पत्र के कारण ₹ 2.70 करोड़ को 'रोकड और बैंक शेषों' में
		शामिल किया गया था, जो उपयोग हेतु आसानी से
		उपलब्ध नहीं थे के बारे में प्रकटित नहीं किया गया था।
	आईएफसीआई वेन्चर	कम्पनी ने न तो नकदी और नकदी बराबर के संघटकों
	केपिटल फंड लिमिटेड	को प्रकटित किया था और न ही नकद और नकदी
	आईएफआईएन	बराबर के संघटकों के निर्धारण के लिए कोई लेखांकन
	सिक्यूरिटिज़ फाइनेंस	नीति निर्धारित की।
	लिमिटेड	
	आईएफआईएन	
	कोमोडिटिज लिमिटेड	
एएस-5	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन	₹ 18.20 करोड़ तक की पूर्व अवधि मदें राशि की 'अन्य
अवधि के	लिमिटेड	आय' के तहत दर्शायी गई थी।
लिए निवल	चंडीगढ़ शेडयूल	अशोध्य और संदिग्ध ऋण और रीलिफ एण्ड कामन गुड़
लाभ और	कास्ट फाइनेंशियल	फन्ड के लिए आरक्षित निधि के लिए रिजर्व निधि की
हानि, पूर्व		राशि को अपवादात्मक मदों के रूप में दर्शाया गया था।
अवधि मदें		
और लेखांकन	(2012-13)	
नीतियों में	फ्रेश एडं हेल्दी	कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में स्थायी
परिवर्तन	एंटरप्राइसेस लिमिटेड	परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास की लेखांकन नीति में
		परिवर्तन के प्रभाव को प्रकटित नहीं किया गया था।
	कच्छ रेलवे कम्पनी	कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्थायी
	लिमिटेड	परिसम्पत्तियों के अधिकतम उपयोगी जीवन काल के

		आधार पर मूल्यहास दरों के संशोधन के प्रभाव को प्रकटित नहीं किया गया था।
	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉपॉरेशन लिमिटेड	फिल्मस के प्रोडक्शन तथा टेलिविजन सीरियलों/प्राप्त हुए कार्यक्रमों के प्रोडक्शन की लागत के निरूपण के सदंर्भ में लेखाकंन नीतियों में परिवर्तन के कारण प्रभाव को प्रकटित नहीं किया गया था।
एएस-9	नेशनल टेक्सटाइल	कम्पनी ने ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन को दिए गए ऋण
राजस्व	कम्पनी लिमिटेड	पर ₹ 21.94 करोड़ के ब्याज को स्वीकार किया जबकि
मान्यता		कपड़ा मंत्रालय से कोई बजटीय सहायता नहीं थी।
एएस-10	एनएचपीसी लिमिटेड	कम्पनी के स्वामित्व में न आने वाली परिसम्पत्तियों को
स्थायी		समर्थ बनाने में किए गए ₹ 173.61 करोड़ के ट्यय को
परिसम्पत्तियों		निर्माण कार्य के दौरान व्यय में प्रभारित किया गया था और
के लिए		प्रगति पर पूंजीगत कार्य पूजीगत में हस्तांतरित किया गया
लेखांकन		था।
	एनटीपीसी लिमिटेड	कम्पनी ने उन परिसम्पित्तयों पर ₹ 167.99 करोड़ की पूंजी का व्यय किया जिनका कम्पनी द्वारा मूर्त परिसम्पित्तयों और प्रगित पर पूंजीगत कार्य के तहत स्वामित्व प्राप्त नहीं किया गया था।
एएस-12	आईएफसीआई	औद्योगिक विकास को प्रात्साहित करने वाले कार्यकलापों
सरकारी	लिमिटेड	के लिए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त पूंजीगत प्रकृति
अनुदानों का		का होने के बावजूद सामान्य रिजर्व में ₹ 184.48 करोड़
लेखांकन		शामिल था जिसें भारत सरकार द्वारा के एफडब्ल्यू ऋण
		के तहत प्राप्त हुए अनुदान के अन्तरित किया गया था।
	इंडियन ड्रग्स एडं	सरकारी अनुदानों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति को
	फार्मास्यूटिकल्स	भी प्रकटित नहीं किया गया था।
	लिमिटेड (2012-13)	
एएस-13	आईएफसीआई	कम्पनी ने इक्विटी शेयरों के मूल्य में ह्रास के प्रति
निवेश के	लिमिटेड	प्रावधान के लिए एक नीति बनाई जिसके अनुसार कोई
लिए लेखांकन		ह्रास प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी जब तक कि
		पुनः क्रय व्यवस्था में कोई चूक न हो और अनुदृत इक्विटी
		को अंकित मूल्य में कमी 75 प्रतिशत से अधिक हो। इस
		नीति के परिणामस्वरूप कम्पनी ने निवल सम्पत्ति

-		
		के क्षरण, निरन्तर नकद हानियों, नकारात्मक अर्जनों,
		संचित हानियों और निवेशक कम्पनियों द्वारा वापसी
		खरीद की वचनबद्धताओं में कोई वापसी खरीद
		वचनबद्धता/चूक न होने के बावजूद छः कम्पनियों के
		सम्बंध में ₹ 734.31 करोड़ के दीर्धावधि निवेश के प्रति
		कोई प्रावधान/अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया।
	इंडियन ड्रग्स एण्ड	तीन सहायक/संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश के
	फार्मास्यूटिकल्स	मूल्य में स्थायी गिरावट के बावजूद कोई प्रावधान नहीं
	लिमिटेड (2012-13)	किया गया था।
एएस-15	राजस्थान ड्रग्स एडं	कार्मिक लाभ व्यय में कार्मिकों के क्रेडिट पर एकत्रित
कर्मचारी लाभ	फार्मास्यूटिकल्स	अर्द्ध वेतन/अस्वस्थता अवकाश को शामिल नहीं किया
	लिमिटेड	गया था।
एएस-18	सीमेंट कॉर्पोरेशन	कम्पनी ने मुख्य प्रबन्धन कार्मिकों के नाम, प्रदत्त
संबंधित पार्टी	आफ इंडिया	परिश्रमिक और संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन को
	आईएफआईएन	प्रकटित नहीं किया था।
	सिक्यूरिटिज़ फाइनेंस	
	लिमिटेड	
	एसबीआई कार्डस पेमेंट	
	सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	
एएस-22	राजस्थान ड्रग्स एडं	पूर्व में मान्य आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसकी
आस्थगित	फार्मास्युटिकल्स	उगाही की वास्तविक निश्चितता के अभाव में अवलेखित
कर	लिमिटेड	नहीं किया गया था।
परिसम्पत्तियां	इंडियन वेक्सीन	आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता दी गई थी
	कम्पनी लिमिटेड	जबिक प्रचालनों से कोई आय नहीं हुई थी और वर्ष के
		दौरान किया गया व्यय फैक्ट्री भूमि को किराए पर देने
		और बैंक जमाओं से ब्याज से प्राप्त आय से अधिक था।
	कान्ति बिजली उत्पादन	₹ 17.52 करोड़ की आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को
	निगम लिमिटेड	सृजित नहीं किया गया था।

#### 2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले वयक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपित्तयाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पिणयों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पिणयों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थी:-

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके;
   और
- कितपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित सीपीएसई के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 104 सीपीएसईज को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे।